निर्णय बईजलास श्री सिद्धार्थ सिहाग आई0ए0एस0 जिला कलक्टर,झालावाड़

मि0नं0 37/प्रार्थना पत्र /19 तारीख दायरा 01.10.2019

उनवान प्रा0पत्र

राजस्थान सरकार जर्ये सहायक निदेशक कृषि(वि0)भवानीमण्डी (प्रार्थी)

बनाम

प्रदीप कुमार पुत्र विमल कुमार जैन,कडोदिया जिला झालावाड़ (अप्रार्थी)

प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955
बाबत 553 बेग यूरिया उर्वरक को राजसात करने

उपस्थित :– पेरोकार सरकार
श्री प्रदीप कुमार,अप्रार्थी

–: निर्णय :– दिनाक: 23.12.2019

यह प्रार्थना पत्र उर्वरक निरीक्षक एवं कृषि अधिकारी (पौ.स.) कार्यालय सहायक निदेशक कृषि (वि0) भवानीमण्डी द्वारा इस आशय का प्रस्तुत किया कि दिनांक 22.07.2019 को कृषक रामप्रहलाद पिता हीरालाल नि0 कडोदिया व सत्यनारायण पाटीदार कृषि पर्यवेक्षक मु0कडोदिया द्वारा दूरभाष पर प्रदीप कुमार जैन पिता विमल कुमार जैन नि0 कडोदिया द्वारा अवैध यूरिया भण्डारण की सूचना से अवगत करया जाने पर ग्राम कडोदिया पंहुचकर श्री विमल कुमार जैन के घर से उत्तम यूरिया उर्वरक (निम कोटेड) की जब्ती कर ग्राम सेवा सहकारी समिति लि0 कडोदिया के व्यवस्थापक श्री हसन अली की सुपुर्दगी में दिया गया। प्रदीप कुमार ने बताया कि यह यूरिया उर्वरक रखने के लिये किसानों को प्रति बैग 10/–रू. की दर किराये पर दे रखा है। यह कि नन्दलाल पिता मांगीलाल,संजय कुमार पिता मोहनलाल ,अकलेश कुमार पिता कैलाशचन्द,महेश कुमार पिता काशीराम पाटीदार,दुर्गालाल पिता घीसालाल,भंवरसिंह पिता रामनाथ, शम्भूसिंह पिता रामसिंह,नृसिंह पिता फूलसिंह ,बनेसिंह पिता उदयसिंह,विमलचन्द पिता कन्हैयालाल,श्री शिवलाल पिता मोतीलाल, श्री विष्णु सिंह पिता मोडसिंह, सुरेन्द्रसिंह पिता भवानीसिंह, मंगलसिंह पिता बालसिंह, दरबारसिंह पिता विक्रम सिह, रमेशचन्द पिता शांतीलाल,बलबीरसिंह पिता बजरंगसिंह, बालचन्द पिता कन्हैयालाल, रखबचन्द पिता गौरीलाल, बालचन्द पिता मदनलाल, अमित कुमार पिता कोमलचन्द, अभिनन्दन पिता दिनेशचन्द, अनिल पिता प्रेमचन्द निवासी ग्रा.प. कडोदिया द्वारा बताया गया हमारे घर पर वर्षा में रखने की उत्तम व्यवस्था नहीं होने के कारण श्री प्रदीप कुमार पिता विमल कुमार निवासी कडोदिया के यहां कमरे में रखा गया है, तथा यह उवर्रक हमारे द्वारा मध्यप्रदेश से खरीदा गया है (बयान संलग्न)। शिकायतकर्ता के आधार पर यूरिया उर्वरक को जप्त किया गया तथा अवैद्य भण्डारण पाये जाने पर यूरिया उर्वरक के 553 बैग (45 कि.ग्रा. प्रति बैग) को उर्वरक नियन्त्रण आदेश 1985 के अन्तर्गत धारा 28(1)(d) के तहत जप्त कर सुरक्षित रखने के लिये ग्राम सेवा सहकारी समिति लि. कडोदिया के व्यवस्थापक श्री हसनअली को सुपुर्द किया गया जिस पर उनके द्वारा उक्त यूरिया ग्राम सहकारी समिति लि. के गोदाम में रखवाया गया। वर्तमान में विक्रय दर उत्तम यूरिया निम कोटेट 266.50 रू. प्रति 45 कि.ग्रा. बैग है। प्रदीप कुमार पुत्र विमल कुमार मौके पर अवैद्य रूप से यूरिया उर्वरक का विक्रय करना व उर्वरक विक्रय के लिये लाइसेंस न होना उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 की धारा 7 व आवश्यक वस्तु अधिनियम 3(2) डी एवं स्टाक पॉजिशन नहीं, प्राइज लिस्ट नहीं, बिना क्रेश मेमो बेचान/भण्डारण पाया गया जो ई.सी एक्ट 3(2) के तहत उल्लंघन है एवं कोई रिकार्ड उपलब्ध नहीं जो एफ.सी.ओ. 35(1) ए, का उल्लंघन है। अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए के अन्तर्गत जप्तशुदा उर्वरक यूरिया के राजसात करने हेतु निवेदन किया गया।

जिला कलक्टर
झालावाड़

प्रा0पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु तलब किया गया । अप्रार्थी0 दौराने सुनवाई स्वंय उपस्थित हुए व जवाब प्रस्तुत किया गया, प्रस्तुत जवाब में मुख्यतः अंकन किया कि प्रस्तुत इस्तगासा गलत तथ्यों पर आधारित है,तत्कालिन उर्वरक निरीक्षक द्वारा उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के अनुच्छेद 4,5,7,35(1) व आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3(2)(डी.) का उल्लघंन सर्वथा गलत है। प्रार्थी उर्वरक की बिक्री का व्यापार करना चाहता था इस बाबत लाईसेंस जारी करने वाले प्राधिकारी के समक्ष प्राप्त निर्देश की पालना में चालान कटवाकर राजकोष में जमा करवाई गई है, जब्त यूरिया के 30 कट्टे प्रार्थी व उसके परिजन के है जो क्रय कर स्वंय के कृषि कार्य के उपयोग के लिये थे। 553 यूरिया के कट्टे आस पास व स्थानीय कडोदिया ग्राम के किसानों के थे जो उनके द्वारा क्रय कर मेरें आवास में बने गौदाम में प्रति कट्टा 10/--रू प्रतिमाह के भुगतान के आधार पर किसानों की स्वेच्छा से रखे गये थे। उक्त कृषकों द्वारा दिये गये शपथ पत्र में यूरिया उर्वरक को वापस दिलवाने हेतु प्रार्थना की है। प्रार्थी द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3(2)(डी.) व उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के अनुच्छेद 4,5,7,35(1) का उल्लघंन नही किया गया है यूरिया को मुक्त कर नोटिस को निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

बहस उभय पक्ष सुनी गयी। पेरोकार सरकार द्वारा दौराने बहस प्रा0पत्र की पुष्टी करते हुये व्यक्त किया कि कृषक रामप्रहलाद पिता हीरालाल नि0 कडोदिया व सत्यनारायण पाटीदार कृषि पर्यवेक्षक मु0कडोदिया द्वारा दूरभाष पर प्रदीप कुमार जैन पिता विमल कुमार जैन नि0 कडोदिया द्वारा अवैध यूरिया भण्डारण की सूचना से अवगत कराया जाने पर ग्राम कडोदिया पंहुचकर श्री विमल कुमार जैन के घर से उत्तम यूरिया उर्वरक (निम कोटेड) जप्त किया गया तथा अवैद्य भण्डारण पाये जाने पर यूरिया उर्वरक के 553 बैग (45 कि.ग्रा. प्रति बैग) को उर्वरक नियन्त्रण आदेश 1985 के अन्तर्गत धारा 28(1)(d) के तहत जप्त कर सुरक्षित रखने के लिये ग्राम सेवा सहकारी समिति लि. कडोदिया के व्यवस्थापक श्री हसनअली को सुपुर्द किया गया जिस पर उनके द्वारा उक्त यूरिया ग्राम सहकारी समिति लि. के गोदाम में रखवाया गया। वर्तमान में विक्रय दर उत्तम यूरिया निम कोटेट 266.50 रू. प्रति 45 कि.ग्रा. बैग है। प्रदीप कुमार पुत्र विमल कुमार मौके पर अवैद्य रूप से यूरिया उर्वरक का विक्रय करना व उर्वरक विक्रय के लिये लाइसेंस न होना उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 की धारा 7 व आवश्यक वस्तु अधिनियम 3(2) डी एवं स्टाक पॉजिशन नहीं, प्राइज लिस्ट नहीं, बिना केश मेमो बेचान/भण्डारण पाया गया जो ई.सी एक्ट 3(2) के तहत उल्लंघन है एवं कोई रिकार्ड उपलब्ध नहीं जो एफ.सी.ओ. 35(1) ए, का उल्लंघन है। अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए के अन्तर्गत जप्तशुदा उर्वरक यूरिया को राजसात किया जावे।

इस पर अप्रार्थी द्वारा व्यक्त किया गया कि प्रार्थी उर्वरक की बिक्री का व्यापार करना चाहता था इस बाबत लाईसेंस जारी करने वाले प्राधिकारी के समक्ष प्राप्त निर्देश की पालना में चालान कटवाकर राजकोष में जमा करवाई गई है, जब्त यूरिया के 30 कट्टे प्रार्थी व उसके परिजन के हैं जो क्रय कर स्वंय के कृषि कार्य के उपयोग के लिये थे। 553 यूरिया के कट्टे आस पास व स्थानीय कड़ोदिया ग्राम के किसानों के थे जो उनके द्वारा क्रय कर मेरें आवास में बने गौदाम में प्रति कट्टा 10/–रू प्रतिमाह के भुगतान के आधार पर किसानों की स्वेच्छा से रखे गये थे। प्रार्थी द्वारा जानकारी के अभाव में उक्त कट्टे गौदाम में रखे गये थे। उक्त यूरिया लोटाया जाकर प्रार्थी को प्रकरण से मुक्त किया जावे।

हमनें पत्रावली का अधोपान्त. अवलोकन किया तथा बहस उभय पक्ष पर मनन किया। प्रकरण का मुख्य विवाद बिन्दु यह है कि क्या कोई व्यक्ति बिना किसी सक्षम स्वीकृति/प्राधिकार पत्र के यूरिया का भंण्डारण/विक्रय कर सकता है या नही ? प्रकरण के अवलोकन से यह तो स्पष्ट है कि अप्रार्थी द्वारा जो यूरिया अपने गौदाम में भण्डारण किया गया था बिना किसी सक्षम स्वीकृति/प्राधिकार पत्र के रखा गया था। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब के पेरा न0 4 में अंकन किया गया है कि 30 कट्टे प्रार्थी व उसके परिजन के हैं इसी तरह पेरा न0 5 में अंकन किया गया है कि

जिला कलक्टर
झालावाड़

553 यूरिया के कट्टे आस पास व स्थानीय कडोदिया ग्राम के किसानों के थे जिनका कुल योग 583 है जबकि कुल जब्त यूरिया ही 553 कट्टे है। पेरोकार सरकार द्वारा प्रस्तुत प्रा0पत्र के संलग्न बयान सुरेन्द्र सिह आ0 भवानीसिंह राजपूत नि0 ग्राम मोड़ी में अंकन किया गया है कि " मेरे पिताजी के नाम 2.25 है0 जमीन है। जिके लिए मेने उत्तम कम्पनी का यूरिया खाद जो खरीफ व रबी दानों सीजन के लिए 30 बेग वजन प्रति बेग(45 Kg) है। जो मने प्रदीप कुमार/विमल जैन गांव कडोदिया वालों के यहां से खरीदा था।" इसी कम में पेरोकार सरकार द्वारा प्रस्तुत प्रकरण के पेरा न0 5 अनुसार यह उर्वरक ग्राम वासीयान अनुसार मध्यप्रदेश से खरीदा गया है किन्तु ग्राम वासीयान जिनके द्वारा उक्त यूरिया खरीद कर गौदाम में रखा गया था उक्त खरीद बाबत या गौदाम में यूरिया रखे जाने बाबत कोई दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नही कराई गई है। इस प्रकार स्पष्ट है कि अप्रार्थी द्वारा बिना किसी सक्षम स्वीकृति/प्राधिकार पत्र के यूरिया का भण्डारण/विक्रय किया गया है और यह कृत्य उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के अनुच्छेद 4,5,7,35(1) व आवश्यक वस्तु अधिनियम 3(2) डी का उल्लंघन है । उपरोक्त विवेचन से प्रा0पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर जब्त उत्तम यूरिया उर्वरक (निम कोटेड)553 बैग (45 कि.ग्रा. प्रति बैग) को राजसात किया जाता है। उर्वरक निरीक्षक एवं कृषि अधिकारी (पौ.स.) कार्यालय सहायक निदेशक कृषि (वि0) भवानीमण्डी जब्त यूरिया का नियमानुसार विधि द्वारा सुस्थापित प्रकियानुसार निस्तारण करा कर प्राप्त राशि को राजकोष में जमा करावें।

इस प्रकरण के माध्यम से यंहा उल्लेख किया जाना उचित होगा कि प्रकरण की गंभीरता को दृष्टिगत रख एक्ट के प्रावधानों के तहत यदि अपराध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत किया जाना पाया जावे तो सम्बन्धित अधिकारी को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत भी कार्यवाही किया जाना चाहिये और यदि कार्यवाही नहीं की जाती है तो पत्रावली पर कारण स्पष्ट किये जाने चाहिए। निर्णय की प्रति पालनार्थ उर्वरक निरीक्षक एवं कृषि अधिकारी (पौ.स.) कार्यालय सहायक निदेशक कृषि (वि0) भवानीमण्डी को भिजवाई जावे। पत्रावली फेसल शुमार की जाकर बाद तामील तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 23.12.2019 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सिद्धार्थ सिहाग)
जिला कलक्टर
झालावाड़

जिला कलक्टर
झालावाड़